जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 01.11.2023**

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन मकानों से हुई चोरी की घटनाओं का किया सफल अनावरण, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया सामान बरामदः-

आज दिनांक 01.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी की घटनाओं का अनावरण एवं चोरी की घटनाओं में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा निर्माणाधीन मकानों में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण कर 01 अभियुक्त को चोरी के सामान तांबे का जला हुआ तार 02 किग्रा, टुल्लु पम्प, प्लास, बिसौली आदि सामान सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 13/14.09.2023 की रात्रि में वादी श्री संजय कुमार पुत्र ब्रजभूषण निवासी आर्य नर्सिंग होम झिंझाना रोड़ थाना कोतवाली जनपद शामली के निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोरों द्वारा वाइब्रेटर, ग्राइण्डर, हेमर मशीन, टुल्लु पम्प आदि सामान चोरी कर लेना तथा दिनांक 14.09.2023 की रात्रि में वादी श्री रवि कुमार बंसल पुत्र स्व0 श्री प्रेमचन्द बंसल निवासी मौहल्ला कटरा पंसारियान बड़ा बाजार थाना कोतवाली जनपद शामली के निर्माणाधीन मकान से अज्ञात चोरों द्वारा बिजली वायरिंग, टुल्लु पम्प, लोहे का सामान आदि चोरी करने के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीरों के आधार पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किये गये थे। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

शहजाद पुत्र यूसुफ निवासी मौ0 कलंदरशाह बर्फ खाने वाली गली थाना कोतवाली जनपद शामली।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 1081/17 धारा 10 गुण्डा अधि0 थाना कोतवाली जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 338/22 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 418/22 धारा 60 आबकारी अधि0 व धारा 272/273 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।
4.मु0अ0सं0 457/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।
5.मु0अ0सं0 467/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किया हुआ सामान पिले कट्टे में 01 टुल्लु पम्प, 01 प्लास, 01 बिसौली, 01 आरी का ब्लैड (सम्बन्धित मु0अ0सं0 457/23 धारा 457,380,411)

2.जला हुआ तांबा व सिल्वर का तार सफेद कट्टे में 02 किग्रा (सम्बन्धित मु0अ0सं0 467/23 धारा 457,380,411)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना कोतवाली जनपद शामली।
2.है0का0 राजू त्यागी थाना कोतवाली जनपद शामली।
3.है0का0 रिंकू सिंह थाना कोतवाली जनपद शामली।
4.का0 सूर्यप्रताप सिंह थाना कोतवाली जनपद शामली।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 100 ग्राम स्मैक बरामदः-

आज दिनांक 01.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ बिक्री/तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 0 3 मादक पदार्थ तस्करों को 100 ग्राम अवैध स्मैक सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

1.मारुफ पुत्र इसराइल निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मुर्सलीन पुत्र करीमूद्दीन निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.सनव्वर पुत्र इकबाल निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

अवैध 100 ग्राम स्मैक।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सनव्वर उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 452/2019 धारा 380/411/457 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 467/2022 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुर्सलीन उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 256/2016 धारा 414 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 257/2016 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 241/2009 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राहुल कादयान थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.है0का0 अशीष कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.है0का0 राहुल मलिक थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.है0का0 अंशुल पूनिया थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.का0 नितिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा यातायात माह- नवम्बर 2023 का किया गया शुभारंभ-

आज दिनांक 01.11.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक द्वारा पुलिस लाईन शामली से यातायात माह-नवम्बर 2023 का शुभारंभ किया गया । विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी शासन के निर्देशानुसार नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है । उक्त क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा सड़क सुरक्षा यातायात माह नवम्बर 2023 की जागरूकता रैली को पुलिस लाईन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त रैली पुलिस लाईन शामली से प्रारम्भ होकर वी0वी0 इण्टर कॉलेज पर समाप्त हुई। उक्त रैली में जनपद के पुलिसकर्मी, एनसीसी कैडेट्स व स्कूली बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा सुरक्षित यातायात सुनिश्चित कराने हेतु लोगों को हेलमेट पहनने, सेफ्टी बेल्ट लगाने हेतु प्रेरित करते हुए सावधानी पूर्वक रोड पर चलने , यातायात नियमों का पालन करने हेतु सुझाव दिया गया एवं रोड सेफ्टी के प्रति लोगो को जागरुक किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति जागरुक रहकर उनका पालन करने की अपेक्षा की गयी । इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी शामली सन्तोष कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर श्री श्यामवीर सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री विक्रम सिंह, प्रभारी यातायात श्री सुखविन्दर सिंह व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण एवं गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहें।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के चलते 13 अलग-अलग मामलों में 14 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 53000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया गयाः-

1. वर्ष 2018 में अभियुक्तगण 1.अनवर उर्फ जोनी पुत्र ताहिर उर्फ जरीन 2.फिरोज उर्फ वहिया पुत्र ताहिर उर्फ जरीन 3.तसलीम उर्फ बबलू पुत्र ताहिर निवासीगण मौहल्ला रेता वाला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 261/2018 धारा 457,380 भादवि व मु 0अ0सं0 367/2018 धारा 380,457,411 भादवि में थाना कैराना पर पंजीकृत किये गये थे। जिनमें अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था। **इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 380 भादवि में 5 वर्ष 6 माह का कारावास व 1000-1000 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 457 भादवि में 03-03 वर्ष का कारावास व 1000-1000 रुपये अर्थदण्ड, धारा 411 भादवि में 01-01 वर्ष का कारावास व 3000-3000 हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 माह** के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया **तथा मु0अ0सं0 261/18 की धारा 457 भादवि में प्रत्येक अभियुक्तगण को 05 वर्ष 06 माह का कारावास व 3000-3000 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 380 भादवि में 03-03 वर्ष का कारावास व 3000-3000 हजार रुपये अर्थदण्ड**, **अर्थदण्ड** अदा न करने पर 05-05 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2020 में अभियुक्त सुन्दर सिंह पुत्र रफैल सिंह निवासी मौहल्ला दयानन्द नगर थाना कोतवाली जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 417/2020 धारा 414 भादवि में थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 414 भादवि में 06 माह का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

3. वर्ष 2023 में अभियुक्त फाजिल पुत्र अलीशेर निवासी मौहल्ला खैलकला थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 447/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 05 माह का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।**

4. वर्ष 2019 में अभियुक्त खान मौहम्मद पुत्र मुकदर निवासी ग्राम बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 137/2019 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में थाना बाबरी जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 09 माह का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।**

5. वर्ष 2023 में अभियुक्त गुड्डू उर्फ मांगा पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम कसेरवा कला थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के विरूद्ध मु 0अ0सं0 40/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 05 माह का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।**

6. वर्ष 2022 में अभियुक्त साहिल उर्फ सुहैल पुत्र समीर निवासी ग्राम माल्हीपुर थाना बाबरी जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 149/2022 धारा 379, 427 भादवि में थाना बाबरी पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 379 भादवि में 01 वर्ष 01 माह का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 427 भादवि में 01 वर्ष 01 माह का कारावास व**

1000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।

7. वर्ष 2023 में अभियुक्त दिलशाद पुत्र शगीर निवासी चमड़ा पीठ थाना थानाभवन जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 230/2023 धारा 379,411 भादवि में थाना थानाभवन पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 379 भादवि में 06 माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 411 भादवि में 06 माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।**

8. वर्ष 2023 में अभियुक्त याकूब पुत्र अलीम निवासी मौहल्ला खेलवाई थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 174/2023 धारा 379,411 भादवि में थाना कांधला पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 379 भादवि में 06 माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 411 भादवि में 06 माह का कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।**

9. वर्ष 2023 में अभियुक्त आलिम पुत्र शेरा निवासी ग्राम इस्लामनगर थाना कैराना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 362/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में थाना कैराना जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 05 माह का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया।**

10. वर्ष 2023 में अभियुक्त अजय उर्फ चील पुत्र मोहन लाल निवासी ग्राम गंगेरू थाना कांधला जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 300/2023 धारा 380, 411 भादवि में थाना कांधला पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 380 भादवि में 01 वर्ष 03 माह का कारावास व 1000 हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह** के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया।

11. वर्ष 2023 में अभियुक्त शुभम पुत्र बल्ली निवासी मौहल्ला बरखण्डी थाना कोतवाली जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 276/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में थाना कोतवाली जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 05 माह का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास** की सजा का प्रावधान किया गया।

12. वर्ष 2023 में अभियुक्त शुभम पुत्र जसपाल निवासी ग्राम कसेरवा कला थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 141/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली पर पंजीकृत किया गया था। **इसी क्रम में दिनांक 01.11.2023 को माननीय न्यायालय CJM कैराना द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 05 माह का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस के अतिरिक्त कारावास** की सजा का प्रावधान किया गया।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1.अनवर उर्फ जोनी पुत्र ताहिर उर्फ जरीन निवासी मौहल्ला रेता वाला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली।

2.फिरोज उर्फ वहिया पुत्र ताहिर उर्फ जरीन निवासी मौहल्ला रेता वाला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली।

3.तसलीम उर्फ बबलू पुत्र ताहिर निवासी मौहल्ला रेता वाला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली।

4. सुन्दर सिंह पुत्र रफैल सिंह निवासी मौहल्ला दयानन्द नगर थाना कोतवाली जनपद शामली।

5. फाजिल पुत्र अलीशेर निवासी मौहल्ला खैलकला थाना कैराना जनपद शामली।

6.खान मौहम्मद पुत्र मुकदर निवासी ग्राम बन्तीखेड़ा थाना बाबरी जनपद शामली।

7.गुड्डू उर्फ मांगा पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम कसेरवा कला थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

8.साहिल उर्फ सुहैल पुत्र समीर निवासी ग्राम माल्हीपुर थाना बाबरी जनपद शामली।

9.दिलशाद पुत्र शगीर निवासी चमड़ा पीठ थाना थानाभवन जनपद शामली।

10.याकूब पुत्र अलीम निवासी मौहल्ला खेलवाई थाना कांधला जनपद शामली।

11.आलिम पुत्र शेरा निवासी ग्राम इस्लामनगर थाना कैराना जनपद शामली।

12.अजय उर्फ चील पुत्र मोहन लाल निवासी ग्राम गंगेरू थाना कांधला जनपद शामली।

13.शुभम पुत्र बल्ली निवासी मौहल्ला बरखण्डी थाना कोतवाली जनपद शामली।

14.शुभम पुत्र जसपाल निवासी ग्राम कसेरवा कला थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI